



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042022-234849  
CG-DL-E-05042022-234849

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1565]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944

No. 1565]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

**का.आ. 1634(अ).**—संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और सहयुक्त व्यष्टियों, समूहों, उपक्रमों और इकाइयों से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में सुरक्षा परिषद संकल्प 2610 (2021) के पैरा 1 में उपवर्णित आस्तियों की जब्ती, यात्रा-रोक और शस्त्र-प्रतिबंध के अधीन रहते हुए, व्यष्टियों और इकाइयों की उसकी आईएसआईएल (दाएश), और अल-कायदा शास्तियों की सूची में संशोधन अधिनियमित किए हैं, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अध्याय VII के अधीन अंगीकृत किए हैं।

और, केंद्रीय सरकार, उक्त संशोधनों को प्रभावी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन जारी किए गए आदेश की अनुसूची को पुनरीक्षित करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्प कार्यान्वयन) चौथा संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूची के उपाबंध 1 में-

(क) "क. व्यष्टि" शीर्षक के अधीन पैरा क्यूडीआई. 346 और क्यूडीआई. 402 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ख) "ख. इकाइयों और अन्य समूह" शीर्षक के अधीन पैरा क्यूडीई.167 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

**"क्यूडीई.168 नाम** नाम: खतीबा अल-तौहीद वल-जिहाद (केटीजे)

**नाम (मूल लिपि में):** Катибаат -Таухидваль-Джихад

उर्फ: क) जन्नत ओशिकलारी ख) जमात अल-तौहीद वल-जिहाद पूर्व नाम: जन्नत ओशिकलारी पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 7 मार्च 2022 अन्य जानकारी: खतीबा अल-तौहीद वल-जिहाद (जिसे पहले जन्नत ओशिकलारी के नाम से जाना जाता था) अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अल-नुसराह फ्रंट फॉर द पीपल ऑफ द लेवेंट (क्यूडीई.137) की छत्रछाया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है। यह संगठन मुख्य रूप से सीरियाई अरब गणराज्य में हमा, इदलिब और लधिक्रियाह प्रांतों में सक्रिय है, और तुर्की, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूसी परिसंघ, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, मिस्र, अफगानिस्तान, यूक्रेन में भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है।

केटीजे के लड़ाकों की संख्या लगभग 500 है। केटीजे, खतीबा इमाम अल-बुखारी (क्यूडीई.158) और इस्लामिक जिहाद समूह (क्यूडीई.119) जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ भी जुड़ा है। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities)."

[फा. सं. यू. II/152/32/2021]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 460 (अ), तारीख 28 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का. आ. 1200 (अ), तारीख 17 मार्च, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

**S.O. 1634(E).**—Whereas, the Security Council of the United Nations Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted amendments on its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of the Security Council resolution 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to revise the Schedule to the order issued under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to give effect to the said amendments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, namely:—

(1) This Order may be called the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Fourth Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, in the Schedule, in Annexure 1,-

(a) under the heading "A. Individuals", paragraphs QDi.346 and QDi.402 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) under the heading "B. Entities and Other Groups", after the paragraph QDe.167 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be inserted, namely:-

**“QDe.168 Name:** KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) **Name (original script):** Катѣбаат-Таухидваль-Джихад **A.k.a.:** a) JANNAT OSHIKLARI b) Jama`at al-Tawhid wal-Jihad **F.k.a.:** JANNAT OSHIKLARI **Address:** na **Listed on:** 7 Mar. 2022 **Other information:** Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhqiyyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group (QDe.119). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities).”.

[F. No. U.II/152/32/2021]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy.

**Note :** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 460(E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2007 and last amended *vide* number S.O.1200 (E), dated the 17<sup>th</sup> March, 2022.